अनुदान संख्या 19 – खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 19–DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*2,00*		*2,41,00*	*2,38,45*	*–2,55*
पूरक	*Supplementary*	*2,39,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*2,55*
स्वीकृत-	Voted–			26628,59,00	26335,37,63	–293,21,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					284,68,52
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			472,22,00	262,44,40	–209,77,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					169,42,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख* रु. का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य, भंडारण और भांडागार" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2408" - "Food, Storage and Warehousing".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य, भंडारण और भांडागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	2661090.00	2632846.60	2632015.22	–831.38
पु.	R.	–28243.40			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3456" सिविल पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies				
मू.	O.	336.00	78.07	77.06	–1.01
पु.	R.	–257.93			

(I) 4.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.4.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2408"- "Food"- savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय"- 123.97 लाख रु. की बचत (272.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और मशीनरी एवं उपस्करों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration-Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats"- saving of Rs.123.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.272.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-purchase of machinery and equipments.

(खा) "प्रशिक्षण - राष्ट्रीय शर्करा संस्थान"- 342.03 लाख रु. की बचत (1030.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और विभिन्न भंडारों की खरीद को अंतिमरूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Training - National Sugar Institute"- saving of Rs.342.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1030.00 lakhs) was due to non - filling up of vacant posts and non-finalisation of purchase of various stores.

(गा) "खाद्य सहायता - 1974-75 के लिए लेवी चीनी का कारखाना बाह्य मूल्य पुनर्निर्धारित किए जाने की वजह से दावों के निपटान के लिए देय आर्थिक सहायता"- 234.10 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चीनी मिलों द्वारा सम्बद्ध दस्तावेज/पत्र प्रस्तुत न किए जाने की वजह से आर्थिक सहायता जारी न किए जाने के कारण हुई।

(C) "Food Subsidies-Subsidies Payable for settlement of claims on account of Re-fixation of Ex-factory Price Levy Sugar for 1974-75"- saving of Rs.234.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-release of subsidy owing to non-furnishing of relevant documents/papers by the sugar mills.

(घा) "अन्य व्यय"-

(D) "Other Expenditure"-

(क) "चीनी के सुरक्षित भंडार के रख-रखाव के लिए आर्थिक सहायता"- 20110.40 लाख रु. की बचत

(a) "Subsidy for maintenance of Buffer Stocks of Sugar"- saving of Rs.20110.40 lakhs (against the sanctioned provision of

(40000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चीनी मिलों के दावों पर कार्रवाई न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "चीनी उद्योग के विकास के लिए सहायता अनुदान"- 234.44 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चीनी कारखानें से कम/अधूरे प्रस्ताव प्राप्त होने और प्रशासनिक औपचारिकताओं के पूरा होने में विलंब होने के कारण हुई।

(ग) "निर्यात पोतारोहण पर चीनी कारखानें का आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति और अन्य अनुमत दावों की अदायगी"- 7891.33 लाख रु. की बचत (12500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चीनी मिलों द्वारा कागजात प्रस्तुत न किए जाने और समुद्र भाड़ा, विपणन एवं लदाई-उतराई प्रभार से संबंधित निर्णय को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3456" - "अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित स्कीम" के अंतर्गत 220.84 लाख रु. की बचत (275.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को रद्द कर दिए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 76.51 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थी।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Rs.40000.00 lakhs) was due to non-processing of claims of sugar mills.

(b) "Grants-in-aid for Development of Sugar Industry"- saving of Rs.234.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to receipt of less/ incomplete proposals from sugar factories and delay in completion of administrative formalities.

(c) "Reimbursement of Internal Transport and freight charges to sugar factories on export shipments and payment of other permissible claims"- saving of Rs.7891.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12500.00 lakhs) was due to non-furnishing of papers by the sugar mills and delay in finalisation of decision on ocean freight, marketing and handling charges.

(III) Under Major Head "3456" - "Other Expenditure-Scheme relating to strengthening Public Distribution System"- saving of Rs.220.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.275.00 lakhs) was due to scheme having been dropped.

(IV) Under one head saving of Rs.76.51 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

3. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4408" खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4408" Capital Outlay on Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	4086.00	4572.00	4571.18	–0.82
पु.	R.	486.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	486.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–486.00			
मुख्य शीर्ष "6860'' उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	42650.00	25708.00	21673.22	–4034.78
पु.	R.	–16942.00			

(I) 486.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552''- "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.486.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552"- "Other Expenditure - Provision for Projects/Schemes for North Eastern States including Sikkim"- due to re-appropriation of funds to functional head for utilisation on the scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "6860'' - "चीनी - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "चीनी मिलों का पुनर्वास/आधुनिकीकरण''- 4610.24 लाख रु. की बचत (15000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "गन्ना विकास के लिए चीनी मिलें''- 546.70 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत बचतें अधूरे आवेदन प्राप्त होने और आवेदनकर्ताओं द्वारा त्रिपक्षीय करार निष्पादित न किए जाने के कारण हुईं।

(II) Under Major Head "6860" - "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Rehabilitation/Modernisation of Sugar Mills"- saving of Rs.4610.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15000.00 lakhs); and

(B) "Sugar Mills for Cane Development"- saving of Rs.546.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs).

Savings under the above heads were due to receipt of incomplete applications and non-execution of Tripartite Agreement by applicants.

(गा) "खोई आधारित सहउत्पादन विद्युत परियोजना के लिए चीनी कारखाने''- 7707.94 लाख रु. की बचत (15000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "अल्कोहल से निर्जलीय अल्कोहल अथवा इथनाल के उत्पादन के लिए चीनी कारखाने''- 8051.90 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें त्रिपक्षीय करार समय पर निष्पादित न होने के कारण हुईं।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 60.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4408'' - "भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य सामग्री का निर्माण, भंडारण और गोदाम'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिकरूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 486.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(C) "Sugar factories for bagasse - based cogeneration power project" - saving of Rs.7707.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15000.00 lakhs); and

(D) "Sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol" - saving of Rs.8051.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-execution of the Tripartite Agreement (TPA) in time.

(III) Under one head saving of Rs.60.00 lakhs occurred constituting 40 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4408" - "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of food storage godowns in North Eastern Region by FCI" - excess of Rs.486.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on schemes for benefit of North Eastern Region and Sikkim.